

प्रमाण/२०४५
५ ति.

1975 डाय/नगरानि/०९/

जिला कार्यालय, खण्डवा म०७०

खण्डवा, दिनांक २६/१२/२००९

अनुचिरणीय ग्राम्पारी विषय,
खण्डवा म०७० ।

ग्राम दोक्काडा खारा कुमांड ८५ ।/२ रकबा ।४० बेक्टर भूमि वाणिज्य
गोदाम स्थं प्रोप्रेसिंग गोदाम हेतु भूमि परिवर्तन बाबत ।

आपका पत्र कुमांड ४७०० दिनांक १६/१२/२००९।

उपरोक्त विषयाच्चर्ता संदर्भ में सूचित किया जाता है, कि ग्राम दोक्काडा
हेतु म०७० ८५ ।/२ रकबा ।४० बेक्टर भूमि वाणिज्य गोदाम स्थं प्रोप्रेसिंग गोदाम प्रयोग
शर्तों के अधिन भू-उत्पयपर्तन किये जाने में इस कार्यालय को आवश्यक नहीं है ।

- 1- विधान पहुँच मार्ग की प्रस्तावित घौड़ाई ।८०० मीटर रेखों हुए मार्ग
मध्य से ९०० मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु भूमि सुरक्षा रखी जावे ।
 - 2- भूमि परिवर्तन के पश्चात् सर्वेक्षण स्थल मानविक की स्वीकृति इस कार्या-
लय से प्राप्त करने के पश्चात् हथानिय ग्राम पंचायत से भून निर्माण
की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।
 - 3- विद्युत लाइन के नीचे अस्था प्रभावित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण
विकास कार्य प्रबोधित होगा ।
 - 4- भून का निर्माण भूंप अवरोधी कानिकी से करना आवश्यक होगा ।
 - 5- वर्षा/छत के पानी की दृष्टिंग प्रणाली अपनाई जावे ।
 - 6- भू-उत्पयपत्ति वाद/विवाद वा अस्त्य जानकारी प्रस्तुत करने की दशा में
यह अभियान निरस्त माना जावेगा ।
- यह अभियान निरस्त माना जावेगा ।

Parakati
१. श्रीगति परम्परात कल्पी

उप संवालक

तथा ग्राम निवास, जिला कार्यालय खण्डवा

खण्डवा, दिनांक

प०७०/
प्रतिलिपि :-

1975-डाय/नगरानि/०९/

तरफ़ ग्राम पंचायत दोक्काडा तकील खण्डवा की ओर सूचनार्थ ।
श्री सेठी प्रायठेट एग्रो प्रायठेट लिमिटेड, खण्डवा की ओर सूचनार्थ ।

उप संवालक

नगर तथा ग्राम निवास, जिला कार्यालय खण्डवा

!! न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, अंगुआग-खंडवा !!

मौजा - ग्राम दोंदवाड़ा। तहसील-खंडवा।
माह संक्षेप 29/अ-2/2009-2010

1-

सेठी एग्रीटेक प्रायोलिमि० तर्फे डायरेक्टर
श्रीमती आशा सेठी पति कमलेश सेठी जाति जैन
निवासी संतोषनगर, खंडवा। तहसील एवं जिला-खंडवा।

..... आवेदक।

!! आदेश !!
(पारित दिनांक 5-1-2010)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक सेठी एग्रीटेक प्रायोलिमि० तर्फे डायरेक्टर श्रीमती आशा सेठी पति कमलेश सेठी निवासी संतोषनगर, खंडवा द्वारा हस्ताक्षरित एक आवेदन पत्र मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता-1959 की धारा 172 (1) के तहत नियत प्ररूप में अधिवक्ता श्री अरुण गुप्ता, खंडवा के माध्यम से पेश कर ग्राम दोंदवाड़ा तहसील-खंडवा स्थित मालकी एवं कब्जे की भूमि खसरा नं० 851/2 रकबा 1.40 हैक्टर का व्यपवर्तन “वाणिज्यिक सीड़स प्रोसेसिंग और गोदाम निर्माण” हेतु चाहा गया है। आवेदन पत्र के साथ भूमि की रजिस्ट्री छाया प्रति, भूमि का नक्शा, खसरा, बी-1, मानचित्र आदि दस्तावेज संलग्न पेश किये गये हैं।

2- उक्त आवेदित कृषि भूमि को कृषि भिन्न प्रयोजन “वाणिज्यिक सीड़स प्रोसेसिंग और गोदाम निर्माण” किये जाने की अनुमति दिये जाने के संबंध में इश्तहार जारी किया। नियत अवधि में कोई आपत्ति न्यायालय में प्राप्त नहीं हुई। साथ ही संबंधित विभाग, उपसंचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, खंडवा/सरपंच, ग्राम पंचायत, दोंदवाड़ा जनपंचांग छैगांवमाखन एवं राजस्व निरीक्षक डाय. खंडवा से स्थल जॉच प्रतिवेदन एवं रेन्ट गणना बाबत जानकारी प्राप्त की गई।

3- उपसंचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, खंडवा का पत्र क्रमांक 2045/975-डाय/नग्रानि. 2009 खंडवा, दिनांक 26-12-2009 प्राप्त। जिसमें दर्शित किया ग्राम दोंदवाड़ा की भूमि खसरा नं० 851/2 रकबा 1.40 हैक्टर का “वाणिज्यिक गोदाम एवं प्रोसेसिंग गोदाम” प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन धारित शर्तों के अधीन किया जाता है तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

सरपंच, ग्राम पंचायत, दोंदवाड़ा जनपद पंचायत, छैगांवमाखन की एन०ओ०सी० मय ठहराव प्रस्ताव प्राप्त। जिसमें दर्शित किया कि आवेदित भूमि ग्राम दोंदवाड़ा खसरा नं० 851/2 रकबा 1.40 हैक्टर का वाणिज्यिक सीड़स प्रोसेसिंग एवं गोदाम निर्माण हेतु व्यपवर्तन किया जाता है तो इसमें ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

4- राजस्व निरीक्षक डाय. खंडवा द्वारा आवेदित भूमि ग्राम दोंदवाड़ा खसरा नं० 851/2 स्थल की जॉच की जाकर प्रतिवेदन, रेन्ट गणना प्राप्त। जिसके अनुसार प०ह०नं०-८८ ग्राम दोंदवाड़ा तह०खंडवा, की भूमि खसरा नं० 851/2 रकबा 1.40 हैक्टर भू०रा० रुपये २०५० पैसा आवेदक सेठी एग्रीटेक प्रायोलिमि० श्रीमती आशादेवी पति कमलेश सेठी निवासी खंडवा के नाम शासकीय अभिलेखों में भूमिस्वामी स्वत्व में दर्ज है।

-2--



को कृषि भिन्न प्रयोजन वाणिज्यिक रीडरा प्रोग्राम एवं गोदाम निर्माण हेतु वासा है आवेदित भूमि ग्राम दोंदवाड़ा ग्राम पंचायत, दोंदवाड़ा विकास खंड, छैगांवमाखन की रीगा अन्तर्गत आती है। भूमि, नगर पालिक निगम, खंडवा रीगा में स्थित नहीं है। आवेदित भूमि स्थल पर पड़त है। स्थल पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया है। आवेदित भूमि के आस पास कृषि भूमि एवं पड़त भूमियां हैं। आवेदित भूमि से 2 किमी० की दूरी पर है एवं छैगांवमाखन से 5 किमी० की दूरी पर है। भूमि का व्यपवर्तन वाणिज्यिक प्रयोजन रीडरा प्रोसेसिंग एवं गोदाम निर्माण हेतु किया जाता है तो किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा। आवेदित भूमि में से हाईटेन्शन विघुत लाइन नहीं जा रही है। प्रश्नाधीन भूमि रकबा 1.40 हैक्टर का वर्गफीट में क्षेत्रफल 1,50,630 वर्गफीट होता है।

आवेदित भूमि की चतुरसीमा निम्नानुसार है :-

- | | |
|-----------------|--------------------------------|
| पूर्व दिशा में | - खसरा नं० 858/1 की पड़त भूमि। |
| पश्चिम दिशा में | - सीताराम पटेल की कृषि भूमि। |
| उत्तर दिशा में | - आवेदिका की पड़त भूमि। |
| दक्षिण दिशा में | - कच्चा रास्ता |

वर्तमान में ग्राम दोंदवाड़ा तह0खंडवा की मानक दरे व्यपवर्तन हेतु स्वीकृत नहीं है। समीपस्थ ग्राम छैगांवमाखन की मानक दरें स्वीकृत हैं, जो आवेदित भूमि पर निर्धारित किया जाना है। छैगांवमाखन तह0 खंडवा की दर व्यावसायिक रूपया 11=70 प्रति 100 वर्गफीट के मान से स्वीकृत है। जो आवेदित रकबा पर निर्धारित होगी। व्यावसायिक परिवर्तित रेन्ट रूपया 11=70 प्रति 100 वर्गफीट के हिसाब से आवेदित भूमि रकबा 1.40 हैक्टर अर्थात् 1,50,630 वर्गफीट भूमि का व्यावसायिक परिवर्तित रेन्ट रूपया 17,624=00 प्रतिवर्ष, इस राशि का 50 प्रतिशत पंचायत उपकर राशि रूपया 8,812=00 प्रतिवर्ष तथा प्रीमियम व्यावसायिक दर रूपया 1=50 प्रति वर्गमीटर के मान से प्रीमियम रूपया 20,999=00 राजस्व वर्ष 2009-2010 से कायम किया जाना एवं कृषि भूमि रूपये 2=50 पैसा कम किया जाना प्रस्तावित किया है, जो एतद्वारा स्वीकृत किये जाते हैं।

5— प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदित भूमि ग्राम दोंदवाड़ा खसरा नं० 851/2 रकबा 1.40 हैक्टर शासकीय अभिलेखों में आवेदक फर्म सेठी एग्रीटेक प्रायोलिमि० डायरेक्टर श्रीमती आशादेवी पति कमलेश सेठी निवासी, खंडवा के नाम भूमिस्वामित्व मद में दर्ज हैं। भूमि को कृषि भिन्न प्रयोजन वाणिज्यिक व्यपवर्तन किये जाने हेतु इश्तहार जारी होने पर, कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। संबंधित विभागों ने भी शर्तों के अधीन भूमि व्यपवर्तन किये जाने में अपनी सहमति दी है।

अतएव उक्त विवेचना परिप्रेक्ष्य में ग्राम दोंदवाड़ा तहसील-खंडवा की भूमि खसरा नं० 851/2 रकबा 1.40 हैक्टर अर्थात् 1,50,630 वर्गफीट भूमि का "वाणिज्यिक गोदाम एवं प्रोसेसिंग गोदाम प्रयोजन" हेतु व्यपवर्तन किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं निर्धारण के तहत प्रदान की जाती है।

1— व्यपवर्तित भूमि रकबा 1.40 हैक्टर अर्थात् 150630 वर्गफीट भूमि पर व्याव.परिवर्तित रेन्ट रूपया 17,624=00 प्रतिवर्ष, पंचायत उपकर रूपया 8,812=00 प्रतिवर्ष तथा प्रीमियम रूपया 20,999=00 कायम किया जाता है। परिवर्तित रेन्ट राजस्व वर्ष 2009-2010 से देय होगा। कृषि भूमि 2=50 पैसा कम किया जाता है।



- 2— विघमान पहुंच मार्ग की प्रतावित चौड़ाई 18.0 मीटर रखते हुए मार्ग मध्य से 9.0 मीटर
भूमि मार्ग विस्तार हेतु सुरक्षित रखी जावेगी।
- 3— भूमि के सर्वेक्षित स्थल मानचित्र की स्वीकृति नगर तथा ग्राम निवेश, खंडवा से प्राप्त करने
के पश्चात् स्थानीय ग्राम पंचायत से भवन निर्माण की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 4— विघुत लाईन के नीचे अथवा प्रभावित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण/विकास कार्य
प्रतिबंधित होगा।
- 5— भवन का निर्माण भूकंप अवरोधी तकनिकी से कराना आवश्यक होगा। वर्षा-छत के पार्श्व
की हारेस्टिंग प्रणाली अपनाई जावेगी।
- 6— भूमिस्वामित्र संबंधी वाद/विवाद होने की दशा में अथवा गलत जानकारी देने अथवा
आदेश में उल्लेखित शर्तों के उल्लंघन की दशा में दी गई अनुज्ञा निरस्त मानी जावेगी।
- यह आदेश आज दिनोंक 5-1-2010 को मेरे हस्ताक्षर एवं सील मुद्रा से जारी किया।



पृष्ठांकोंक / री—अ०वि०अ० / 2009
प्रतिलिपि—

(आर०एस०चौधरी)
अनुविभागीय अधिकारी,
अनुभाग—खंडवा

खंडवा, दिनोंक 5-1-2010

- 1— उपसचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, खंडवा।
- 2— तहसीलदार, तहसील—खंडवा / सहा०अधी० परिवर्तित शाखा, खंडवा।
- 3— सरपंच, ग्राम पंचायत, दोंदवाड़ा। जन०पंचा० छैगांवमाखन। तहसील—खंडवा।
- 4— पटवारी, ग्राम दोंदवाड़ा। तह०खंडवा द्वारा— राजस्व निरीक्षक, छैगांवमाखन।
- 5— सेठी एग्रीटेक प्राय०लिमि० तर्फे डायरेक्टर श्रीमती आशा सेठी पति कमलेश सेठी जाति
जैन निवासी संतोषनगर, खंडवा। तहसील एवं जिला—खंडवा। की और सूचनार्थ एवं
पालनार्थ हेतु। परिवर्तित रेन्ट / प्रीमियम राशि अविलंब जमा कर चालान प्रति पेश करें।

Chouhan
अनुविभागीय अधिकारी
अनुभाग—खंडवा

अनुभाग-छाड़वा ४४
खालील कारी, अनुभाग-छाड़वा ४४
खालील कारी, अनुभाग-छाड़वा ४४


2009 4700

- 1- उपसंचालक
2- नगर तथा ग्राम निवास, छाड़वा।
3- सरपट, ग्राम पंचायत, दोहड़वा। जन. पंचा. उगांबमालान।

कृष्ण मूर्मि को कृष्ण भिन्न प्रयोजन बाणीज्यक सीइस प्रोसेसिंग एवं
व्यपवर्तित किये जाने को अनुमति बाबत। गोदाम निर्माण
आवेदक श्री. सेठी. स्ट्रोटेक. प्रायोलिसिंग डायरेक्टर
निवासी. श्रीमती. आरा. सेठी. श्री. सेठी निवासी संतोषनगर
तहसील-छाड़वा कालानी, छाड़वा
आवेदक श्री. सेठी स्ट्रोटेक डायरेक्टर श्रीमती आरा सेठी
की कृष्ण मूर्मि छासरा नो. ८५१/२ प्रिता
पैका फौतफल संपूर्ण को व्यपवर्तित किये जाने को
तहसील-छाड़वा स्थित ग्राम
पति चाही गई है। पत्र के साथ आवेदित स्थाल का नक्शा, छासरा आदि -
आवेदक पेशा है।

अतएव आप उक्त आवेदित मूर्मि/स्थाल का प्रयोजन बाणीज्यक "सीइस
प्रोसेसिंग एवं गोदाम निर्माण" अधिकारी
भाजवाने का कठ्ठ करें।
पंचायत, रनवांसी० मय पुस्ताव
नक्शा, छासरा, बी-।
ले आउट प्लान प्रति।

अनुभाग-छाड़वा
अनुभाग-छाड़वा



!! न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग—खंडवा !!

मात्रक 29 / अ-२ / 2009-2010
ग्राम दोंदवाड़ा | तहसील—खंडवा।

- 1— सेठी एग्रीटेक प्रायोलिमि० तर्फे डायरेक्टर
श्रीमती आशा सेठी पति कमलेश सेठी जाति जैन
निवासी संतोषनगर, खंडवा | तहसील एवं जिला—खंडवा।

..... आवेदक।

!! आदेश !!
(पारित दिनांक 5-1-2010)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक सेठी एग्रीटेक प्रायोलिमि० तर्फे डायरेक्टर श्रीमती आशा सेठी पति कमलेश सेठी निवासी संतोषनगर, खंडवा द्वारा हस्ताक्षरित एक आवेदन पत्र मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता—1959 की धारा 172 (1) के तहत नियत प्ररूप में अधिवक्ता श्री अरुण गुप्ता, खंडवा के माध्यम से पेश कर ग्राम दोंदवाड़ा तहसील—खंडवा स्थित मालकी एवं कब्जे की भूमि खसरा नं 851/2 रकबा 1.40 हैक्टर का व्यपर्तन “वाणिज्यिक सीड्स प्रोसेसिंग और गोदाम निर्माण” हेतु चाहा गया है। आवेदन पत्र के साथ भूमि की रजिस्ट्री छाया प्रति, भूमि का नक्शा, खसरा, बी—1, मानचित्र आदि दस्तावेज संलग्न पेश किये गये हैं।

2— उक्त आवेदित कृषि भूमि को कृषि भिन्न प्रयोजन “वाणिज्यिक सीड्स प्रोसेसिंग और गोदाम निर्माण” किये जाने की अनुमति दिये जाने के संबंध में इश्तहार जारी किया। नियत अवधि में कोई आपत्ति न्यायालय में प्राप्त नहीं हुई। साथ ही संबंधित विभाग, उपसंचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, खंडवा / सरपंच, ग्राम पंचायत, दोंदवाड़ा जनपंचायत ०८५० पर्याप्त राजस्व निरीक्षक डाय. खंडवा से स्थल जॉच प्रतिवेदन एवं रेन्ट गणना बाबत जानकारी प्राप्त की गई।

3— उपसंचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, खंडवा का पत्र क्रमांक 2045 / 975—डाय./नग्रानि। 2009 खंडवा, दिनांक 26-12-2009 प्राप्त। जिसमें दर्शित किया ग्राम दोंदवाड़ा की भूमि खसरा नं 851/2 रकबा 1.40 हैक्टर का “वाणिज्यिक गोदाम एवं प्रोसेसिंग गोदाम” प्रयोजन हेतु व्यपर्तन धारित शर्तों के अधीन किया जाता है तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

सरपंच, ग्राम पंचायत, दोंदवाड़ा जनपद पंचायत, छैगांवमाखन की एन०ओ०सी० मध्य ठहराव प्रस्ताव प्राप्त। जिसमें दर्शित किया कि आवेदित भूमि ग्राम दोंदवाड़ा खसरा नं. 851/2 रकबा 1.40 हैक्टर का वाणिज्यिक सीड्स प्रोसेसिंग एवं गोदाम निर्माण हेतु व्यपर्तन किया जाता है तो इसमें ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

4— राजस्व निरीक्षक डाय. खंडवा द्वारा आवेदित भूमि ग्राम दोंदवाड़ा खसरा नं 851/2 स्थल की जॉच की जाकर प्रतिवेदन, रेन्ट गणना प्राप्त। जिसके अनुसार प०ह०नं०-८८ ग्राम दोंदवाड़ा तह०खंडवा, की भूमि खसरा नं 851/2 रकबा 1.40 हैक्टर भू०रा० रूपये २०५० पैसा आवेदक सेठी एग्रीटेक प्रायोलिमि० श्रीमती आशादेवी पति कमलेश सेठी निवासी खंडवा के नाम शासकीय अभिलेखों में भूमिस्वामी स्वत्व में दर्ज है।



—2—

आवेदक फर्म डायरेक्टर ने उक्ता भूमि ग्राम दोंदवाड़ा खरारा नं० 851/2 रकबा 1.40 हैक्टर को कृषि भिन्न प्रयोजन वाणिज्यिक सीखरा प्रोरोसिंग एवं गोदाम निर्माण हेतु बाहा है आवेदित भूमि ग्राम दोंदवाड़ा ग्राम पंचायत, दोंदवाड़ा विकास खंड, छैगांवमाखन की सीगा अन्तर्गत आती है। भूमि, नगर पालिक निगम, खंडवा रीमा में स्थित नहीं है। आवेदित भूमि रस्ते पर पड़त है। स्थल पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया है। आवेदित भूमि के आस पास धार्मिक/समाजिक भवन नहीं बने हैं। आवेदित भूमि से 2 किमी० की दूरी पर कोई छैगांवमाखन से 5 किमी० की दूरी पर है। भूमि का व्यपर्वतन वाणिज्यिक प्रयोजन सीखरा प्रोसेसिंग एवं गोदाम निर्माण हेतु किया जाता है तो किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा। आवेदित भूमि में से हाईटेन्शन विघुत लाइन नहीं जा रही है। प्रश्नाधीन भूमि रकबा 1.40 हैक्टर का वर्गफीट में क्षेत्रफल 1,50,630 वर्गफीट होता है। आवेदित भूमि की चतुरसीमा निम्नानुसार है :-

- | | |
|-----------------|--------------------------------|
| पूर्व दिशा में | - खसरा नं० 858/1 की पड़त भूमि। |
| पश्चिम दिशा में | - सीताराम पटेल की कृषि भूमि। |
| उत्तर दिशा में | - आवेदिका की पड़त भूमि। |
| दक्षिण दिशा में | - कच्चा रास्ता |

वर्तमान में ग्राम दोंदवाड़ा तह0खंडवा की मानक दरे व्यपर्वतन हेतु स्वीकृत नहीं है। समीपस्थ ग्राम छैगांवमाखन की मानक दरें स्वीकृत हैं, जो आवेदित भूमि पर निर्धारित किया जाना है। छैगांवमाखन तह0 खंडवा की दर व्यावसायिक रूपया 11=70 प्रति 100 वर्गफीट के मान से स्वीकृत है। जो आवेदित रकबा पर निर्धारित होगी। व्यावसायिक परिवर्तित रेन्ट रूपया 11=70 प्रति 100 वर्गफीट के हिसाब से आवेदित भूमि रकबा 1.40 हैक्टर अर्थात् 1,50,630 वर्गफीट भूमि का व्यावसायिक परिवर्तित रेन्ट रूपया 17,624=00 प्रतिवर्ष, इस राशि रूपया 1=50 प्रति वर्गमीटर के मान से प्रीमियम रूपया 20,999=00 राजस्व वर्ष 2009-2010 से कायम किया जाना एवं कृषि भूमि 2=50 पैसा कम किया जाना प्रस्तावित किया है, जो एतद्वारा स्वीकृत किये जाते हैं।

5— प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदित भूमि ग्राम दोंदवाड़ा खसरा नं० 851/2 रकबा 1.40 हैक्टर शासकीय अभिलेखों में आवेदक फर्म सेठी एग्रीटेक प्राय०लिमि० डायरेक्टर श्रीमती आशादेवी पति कमलेश सेठी निवासी, खंडवा के नाम हेतु इश्तहार जारी होने पर, कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। संबंधित विभागों ने भी शर्तों के अधीन भूमि व्यपर्वतन किये जाने में अपनी सहमति दी है।

अतएव उक्ता विवेचना परिप्रेक्ष्य में ग्राम दोंदवाड़ा तहसील-खंडवा की भूमि खसरा नं० 851/2 रकबा 1.40 हैक्टर अर्थात् 1,50,630 वर्गफीट भूमि का "वाणिज्यिक गोदाम एवं प्रोसेसिंग गोदाम प्रयोजन" हेतु व्यपर्वतन किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं निर्धारण के तहत प्रदान की जाती है।

1— व्यपर्वतित भूमि रकबा 1.40 हैक्टर अर्थात् 150630 वर्गफीट भूमि पर व्यावर्षित रेन्ट रूपया 17,624=00 प्रतिवर्ष, पंचायत उपकर रूपया 8,812=00 प्रतिवर्ष तथा प्रीमियम रूपया 20,999=00 कायम किया जाता है। परिवर्तित रेन्ट राजस्व वर्ष 2009-2010 से देय होगा। कृषि भूमि 2=50 पैसा कम किया जाता है।



2— विघमान पहुंच मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई 18.0 मीटर रखते हुए मार्ग मध्य रो 9.0 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु सुरक्षित रखी जावेगी ।

3— भूमि के सर्वेक्षित स्थल मानचित्र की स्वीकृति नगर तथा ग्राम निवेश, खंडवा से प्राप्त करने के पश्चात् स्थानीय ग्राम पंचायत से भवन निर्माण की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

4— विघुत लाईन के नीचे अथवा प्रभावित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण/विकास कार्य प्रतिबंधित होगा ।

5— भवन का निर्माण भूकंप अवरोधी तकनिकी से कराना आवश्यक होगा । वर्षा-छत के पार्श्वी की हार्डस्टिंग प्रणाली अपनाई जावेगी ।

6— भूमिस्वामित्व संबंधी वाद/विवाद होने की दशा में अथवा गलत जानकारी देने अथवा आदेश में उल्लेखित शर्तों के उल्लंघन की दशा में दी गई अनुज्ञा निरस्त मानी जावेगी ।

यह आदेश आज दिनांक 5-1-2010 को मेरे हस्ताक्षर एवं सील मुद्रा से जारी किया ।



(आर०एस०चौधरी)
अनुविभागीय अधिकारी,
अनुभाग—खंडवा

पृष्ठां०क०क / री—अ०वि०अ० / 2009

खंडवा, दिनांक 5-1-2010

प्रतिलिपि—

1— उपसंचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, खंडवा ।

2— तहसीलदार, तहसील—खंडवा / सहा०अधी० परिवर्तित शाखा, खंडवा ।

3— सरपंच, ग्राम पंचायत, दोंदवाड़ा । जन०पंचा० छैगांवमाखन । तहसील—खंडवा ।

4— पटवारी, ग्राम दोंदवाड़ा । तह०खंडवा द्वारा— राजस्व निरीक्षक, छैगांवमाखन ।

5— सेठी एग्रीटेक प्राय०लिमि० तर्फे डायरेक्टर श्रीमती आशा सेठी पति कमलेश सेठी जाति जैन निवासी संतोषनगर, खंडवा । तहसील एवं जिला—खंडवा । की और सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु । परिवर्तित रेन्ट / प्रीमियम राशि अविलंब जमा कर चालान प्रति पेश करें ।

Chaudhary
अनुविभागीय अधिकारी,
अनुभाग—खंडवा